न्यायालय सहायक कलक्टर(द्वितीय),सीकर

नवान नन्द सिंह बनाम ग्राम पंचायत मोरडूगा

किस्म मुकदमा....दावा.....मुकदमा नं. 15/2020

दिनांक	आज्ञा पत्र
1.01.2020	पत्रावली पेश हुई । वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल चौधरी उपस्थित। रिपोर्ट राजस्व लिपिक प्राप्त की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करें। पत्रावली दिनांक 19.02.2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
19/2/20	एवं पेश हुई वकील वादी उपस्थित। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि उक्त ख.नं. 121 पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करवाया गया है ना ही कोई कार्य स्वीकृत किया गया है। अतः दावा व स्थाई स्थगित करवाया जावे, वकील वादी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया वकील वादी द्वारा उक्त जवाब पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। अतः रिपोर्ट ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी के आधार पर ख.नं. 121 पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने के कारण वाद वादी के आगे कोई कार्य वांछित नहीं है। अतः वाद वादी स्थगित किया जाता है। उक्त फैसले सुनाए होकर नकल से काम हो शाश्विक अन्तर हो निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

Scanned with CamScanner